# 597वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
# दिनांक 06 अक्टूबर 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 597वीं बैठक दिनांक 06/10/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
5. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
8. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

**1. <u>Case No 8613/2021 Shri Prashant Kalidhar, 352, Ambedkar Nagar, Dist. Indore, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (Stone - 25000 cum per annum, Murrum - 3000 cum per annum) (Khasra No. 1 Peki), Village - Rehmanpura, Tehsil - Manawar, Dist. Dhar (MP) Env. Consultant Shri Amit Saxena Apex Mintech Udaypur (Rj.)</u>**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 1), Village - Rehmanpura, Tehsil - Manawar, Dist. Dhar (MP) 4.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 510वीं दिनांक 25/08/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण आज सेक की 596वीं बैठक दिनांक 23/09/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी

परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

आज दिनांक 06/10/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री प्रंशात किलेदार (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि आंवटित खनन् क्षेत्र में एक पिट है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पुराना पिट है जो 2009 से खनन् क्षेत्र में है जिसका पुरानी गूगल इमेज से होता है तथा हमको खदान् इसी स्थिति में आवंटित हुई है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान क्षेत्र दक्षिणी भाग से 290 मीटर की दूरी पर नहर है तथा एक कच्चा रोड़ आवंटित क्षेत्र से निकल रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह कच्चा रोड़ उनके खदान का पहुंच मार्ग है तथा पुरानी खदानो का हॉल रोड़ है । **समिति ने पाया कि गूगल एमेज के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में पूर्व से पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन किया जा रहा है ऐसा प्रतीत नहीं होता है। अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का निमयानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे है अथवा नहीं।** परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान स्वास्थय शिविर, विद्यालय में पेयजल, शैक्षाणिक व खेल सुविधाओ का विकास, पक्का रोड़ एवं वृक्षारोपण हेतु विंड ब्रेकिंगवाल, स्प्रिंकलर इत्यादि के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको ई.एम.पी व सी.ई.आर. में शामिल किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् हेतु कंट्रोल ब्लास्टिंग की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान प्रदूषण नियंत्रण हेतु लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा । प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा धार जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसके पेज नं. 34 के सरल क्रमांक–28 पर इस खदान का विवरण दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन–25,000 मी$^3$ प्रति वर्ष एवं मुरूम 3,000 मी$^3$ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 14.00 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.59 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्षो में पूर्ण किये जाये :–

| सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि | राशि रू. में |
|---|---|
| प्रस्तावित खदान के दक्षिण . पश्चिमि क्षेत्र में 350 मीटर की दुरी पर तालाब को गहरा किया जायेगा | 60,000 |
| तालाब से रेहमानपुरा गाव तक रोड का निर्माण किया जायेगा, जिसकी लम्बाई 400 मीटर है | 2,00,000 |
| रेहमानपुरा गाव में वर्ष में 2 बार चिकित्सा जांच शिविरों का आयोजन<br>(मुख की स्वच्छता, मधुमेह और रक्तचाप जैसी बीमारियों के लिए जागरूकता शिविर) | 10,00 |
| योग | 2,70,000 |

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में तथा रख–रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगा

| कं. | प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान | पौधों की प्रजातियॉ | मात्रा (संख्या में) |
|---|---|---|---|
| 1 | बेरियर जोन | नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, खमेर, सिस्सू, सीताफल आदि। | 700 |
| 2 | परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 1 मीटर) | नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, बरगद आदि | 400 |
| 3 | ग्रामवासियों में वितरण हेतु | आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, मुनगा, कटहल, आदि | 3700 |
| | | कुल | 4800 |

**2. <u>Case No 8672/2021 Shri Maanbahadur, Village - Lebad, Tehsil - Dhar, Dist. Dhar Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (21375 cum per annum) (Khasra No. 1402/1), Village - Salkanpur, Tehsil - Dhar, Dist. Dhar (MP) (Env. Consultant Shri Amit Saxena Apex Mintech Udaypur (Rj.)</u>**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1402/1), Village - Salkanpur, Tehsil - Dhar, Dist. Dhar (MP) 2.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 520वीं दिनांक 13/10/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण आज सेक की 596वीं बैठक दिनांक 23/09/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

आज दिनांक 06/10/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री मानबहादुर सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान क्षेत्र दक्षिण–पूर्व दिशा में 50–55 मीटर की दूरी पर

एक प्राकृतिक नाला है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इसके सरंक्षण हेतु गारलेंड ड्रेन व सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव दिया गया है । आवंटित खनन् क्षेत्र से आबादी दक्षिण दिशा में लगभग 500 मीटर दूर है तथा दक्षिण भाग से लगे हुए कुछ शेड्स एवं स्टोन क्रेशर स्थापित है, जिनके संदर्भ में परियेाजना प्रस्तावक ने बताया कि ये खदानों में कार्य करने वाले श्रमिकों के आश्रय स्थल है तथा कार्यरत स्टोन क्रेशर का साइट आफिस है। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा फार्म–2 में 4800 वृक्षों के रोपण का प्रस्ताव दिया है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि त्रृटिवश यह संख्या अंकित हो गई थी किंतु प्रस्तुतीकरण में वृक्षारोपण संबंधी जानकारी पुनरीक्षित कर दी गई है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व में यह खदान श्री राजेन्द्र पिता गोपालदास के नाम से आवंटित थी जो बाद में मुझे आवंटित हो गई । **समिति ने पाया कि गूगल एमेज के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में पूर्व से पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन किया जा रहा है ऐसा प्रतीत नहीं होता है। अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का नियमानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे है अथवा नहीं।** परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान स्वास्थय शिविर, विद्यालय में पेयजल, शैक्षाणिक व खेल सुविधाओ का विकास, पक्का रोड़ एवं वृक्षारोपण हेतु विंड ब्रेकिंगवाल, स्प्रिंकलर, मुक्तिधाम काम, सोलर लाईट इत्यादि के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको ई.एम.पी व सी.ई.आर. में शामिल किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् हेतु कंट्रोल ब्लास्टिंग की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान प्रदूषण नियंत्रण हेतु लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा । प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा धार जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसके पेज नं. 24 के सरल क्रमांक–05 पर इस खदान का विवरण दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन–21,575 मी$^3$ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.35 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.63 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्षो में पूर्ण किये जाये :–

| सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि | राशि रू. में |
|---|---|
| ग्राम खैरपुर के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में गणवेश एवं पाठ्य सामग्री का वितरण किया जायेगा। | 40,000 |
| ग्राम रतवा में स्थित मुक्ति धाम टिन शेड लगवाया जायेगा | 70,000 |
| ग्राम मियापुर में 10 सोलर लाइट लगाई जाएगी (2000 प्रति नग ) | 20,000 |
| ग्राम मियापुर गर्मी के मौसम में टेंकर द्वारा पेयजल की वयवस्था की जाएगी | 20,000 |
| योग | 1,50,000 |

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण तथा रख–रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगा

| कं. | प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान | पौधों की प्रजातियॉ | मात्रा (संख्या में) |
|---|---|---|---|
| 1 | बेरियर जोन | नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, खमेर, सिस्सू, सीताफल आदि। | 600 |
| 2 | परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 1 मीटर) | नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आदि | 600 |
| 3 | ग्रामवासियों में वितरण हेतु | आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, मुनगा, कटहल, आदि | 800 |
| 4 | लीज एरिया के दक्षिण दिशा में नाले के पास वृक्षारोपण | करंज | 400 |
| | | कुल | 2400 |

**3. <u>Case No 7194/2020 Shri B P Kaistha, G.M. M/s Glowide Infrastructure Pvt. Ltd, "Artefact Towers", 54/3, Chhatrapati Square, Wardha Road, Dist. Nagpur, Mah. - 440015 Prior Environment Clearance for Expansion of Manganese Ore Mine in an area of 6.159 ha. (3000 TPA to 12821 TPA) (Khasra No. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102), Village - Jarah Mohgaon, Tehsil - Katangi, Dist. Balaghat (MP).</u>**

This is case of Expansion of Manganese Ore Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102), Village - Jarah Mohgaon, Tehsil - Katangi, Dist. Balaghat (MP) 6.159 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 465वीं दिनांक 07/11/2020 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

सेक की 595वीं बैठक दिनांक 22/09/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

प्रकरण आज बैठक क्रमांक 595वीं दिनांक 22/09/22 एवं 597वीं दिनांक 06/10/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को 02 प्रस्तुतीकरण के अवसर दिये जाने के बाद भी परियोजना प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं और न ही उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर समय चाहा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करने में रूचि नहीं ली जा रही है । अतः इस प्रकरण को नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाना अनुशंसित है।

**4. <u>Case No 9331/2022 M/s Sameer Real State Pvt. Ltd, Prop. Shri Rajkumar Takhtani, 48, Sampat Farm, Bicholi, Dist. Indore, MP - 452010, Prior Environment Clearance for Construction of Proposed Commercial Project "Shekhar Commercials" at Survey No. 37/1/1, 37/2/2, 38/1, 38/2/1, Piplyarao, Dist. Indore (MP)</u>**

This is case Prior Environment Clearance for Construction of Proposed Commercial Project "Shekhar Commercials" at Survey No. 37/1/1, 37/2/2, 38/1, 38/2/1, Piplyarao, Dist. Indore (MP).

आज दिनांक 06/10/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री शेखर रघुवंसी (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इंवायरों सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए । प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि प्रस्तावित स्थल रालामण्डल अभ्यारण्य के 10 किलोमीटर की सीमा के अंदर है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा एन.बी.डब्लू.एल. हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को प्रथमतः एन.बी.डब्लू.एल. हेतु आवेदन कर उसे ऑनलाईन अपलोड करने के निर्देश दिए, तत्पश्चात् प्रकरण का एप्राइजल किया जा सकेगा। इसी प्रकार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईल अपलोडेड गूगल इमेज भी नहीं खुल रही है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा इमेज अपलोड की गई है, संभवतः तकनीकी त्रुटि के कारण नहीं खुल रही है ।

The case was presented by Env. Consultant Shri Umesh Mishra from M/s. Creative Enviro Services, Bhopal and Shri Bhaskar Takhtani on behalf of PP, wherein during presentation PP submitted that the proposed project is commercial project consisting of offices, convenient shops, rest rooms and cafeteria for office employees/staff proposed at Khasara No 37/1/1, 37/2/2, 38/1, 38/2/ Piplyaroa , Indore (MP). The total plot Area is 6430.110 sq mtrs and after statutory deduction, the construction area will be 5560.16 sq mtrs.The total built-up area /Slab Area Including all common passages, parking, recreational facilities will be 22729.98 sq. mtrs and the other details are as follows:

| | |
|---|---|
| Total Land Area | Total Land Area = 6430.110 sq mtrs |
| Total Built up Area | Total Proposed Built Up area (Slab Area Including all common passages, parking, podium etc.) = |

| | |
|---|---|
| | 22729.98 sq. mtrs |
| Land Owner of the Project | Sameer Real State Pvt Limited Through RajkumarTakhtani |
| Promoters of the Project | Shekhar Constructions through Shekhar Raghuwanshi |
| Location of Project | Khasara No 37/1/1, 37/2/2, 38/1, 38/2/1<br>Piplyrao, Indore (MP) |
| Occupancy of land | Owned by PP |
| Surrounding Features | (A) East - Land followed by Nalla<br>(B) West - Road<br>(C) North –Other land<br>(D) South – Other land |
| Facility | Commercial Complex |
| Number of commercials | 133 |
| Total Water Requirement | 207.370 KLD |
| Net Fresh Water Requirement | 70.880 KLD |
| Total Waste Water Generation | 158 KLD |
| Power Requirement | 1779 KVA |
| Back up Power facility | 01 No. X 600 KVA & 1 No. X 250 KVA DG Set |
| Solid Waste generation | 525 Kg / Day |
| Height of buildings | 30 |
| Front MOS | 12 MTS |
| Rear MOS | 7.5 |
| Width of main assess | 12 mtrs |
| Parking area | 5973.14sqm |
| Parking Number | 196 |
| Area under Green belt | 610 sq mtrs |
| Area under Road | 2190.60sqm |

| **Statement of Areas** | | **Development** | |
|---|---|---|---|
| **S No** | **Particular** | **Permissible** | **Proposed** |
| 1 | Organized Open Area | 210.00 SQ .M | 210.00 SQ .M |
| 2 | Services Area | 64.30 SQ. M | 119.37 SQ. M |
| 3 | Maximum Far | 1:2.0 | 1:2.0 |
| 4 | Road & Circulation Area | 2190.60 | 2190.60 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Maximum Ground Coverage | 40% | 18.54% |
| 6 | M O S<br>Maximum Distance between Two Blocks | F-12 MTR<br>R-7.50 MTR<br>S1-7.50 MTR<br>S2-7.50 MTR | F-12 MTR<br>R-7.50 MTR<br>S1-7.50 MTR<br>S2-7.50 MTR |
| 7 | Maximum Height | 30 MTS | 30 MTS |
| 8 | Total Area of land | 6430.00 SQ. M | 6430.00 SQ. M |
| 9 | Total Built up area including built-up area as per T & CP norms or MPBVR 2012 | 11954 SQ . M | 11652.42 SQ. M |
| 10 | Total Built up area including built-up area of stair cases, balcony, basements & other services area which does not considered for calculation wrt T&CP & MPBVR 2012. | - | 22729.98 sqm |

| | | |
|---|---|---|
| A. | Total Plot Area | 6430.00 SQ. M |
| B. | Less Plot Area under coordination Road | 869.95 SQ. M |
| C. | Net Plot Area | 5560.16 SQ. M |
| D. | Permissible Ground Coverage (25% Of C) | 1390.04sqm |
| E. | Proposed F.A.R. Ground Coverage | 1030.96 SQ.M |
| F. | Permissible F.A.R. (1.00 Of C) | 2.15 |
| G. | Proposed F.A.R. | 2.09 |
| H. | Area Of L.I.G. Flats (10% Of G) | N,A, |
| I. | Open Area Permissible (Min.) 10%<br>Open Area Proposed | 556.01<br>610.04 |
| J. | Services Area<br>➢ Sump well & OH Tank<br>➢ STP & Collection Tank<br>➢ Rainwater Harvesting<br>➢ Garbage Disposal<br>➢ Service Block (Substation, DG Set, etc.)<br>**Total Services Area** | • Fire Reservoir – 2,00,000 Lit<br>• Raw Water –1,50,000 Lit (Comm. & hotel)<br>• Domestic Water –2,20,000 Lit (<br>• STP–175 KLPD & Collection Tank–90 KLD<br>• 1 No of 3m Dia and 4m Depth<br>• Yes As per Norms Approx |
| K. | Permissible Height | 30 |
| L. | Road & Circulation | N.A. |
| M | Width of Internal Road | 7.5 MTS |
| O | Width of approach road | 60 MTS |
| | Front MoS | 12 MTS |
| | Rear MoS | 7.5 MTS |
| | Height of Building | 30 |
| | Number of block | 1 |
| | Built Up area | 11652.42 |
| | **Total Built Up Area** | **22729.98 sqm** |

During presentation it was observed that 04 trees namely Bargad, Jamun, Imali and Khajur have grown within the project site which will not be uprooted as no construction is proposed in this area and rest are on the project boundary. During presentation it was observed that the Ralamandal Sanctuary is with 10 km radius for which PP submitted that the application has been made for NBWL/ESZ clearance and vide application no. WL/MP/INFRA/402286/2022. PP further submitted that they are in the process of getting Greha Green Building Rating fior this project. PP stated that being commercial project, we have proposed an area of 610 sq mtrs on the ground floor for green belt development with 120 trees. Presently 04 no. of trees i.e. Bargad (01), Jamun (01), Imli (01) and Khajoor (01) are observed at the site and none of trees need to be cut down. During discussions, PP explained the backup calculations of soild waste with its bifurcation from various sources such as restaurents, commercial spaces and show rooms. After presentation and submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case was recommended for grant of Prior Environment Clearance for Construction of Proposed Commercial Project "Shekhar Commercials" at Survey No. 37/1/1, 37/2/2, 38/1, 38/2/1, Piplyarao, Dist. Indore (MP) with total plot Area: 6430.110 sq mtrs and total built-up area /Slab Area Including all common passages, parking, recreational facilities: 22729.98 sq. mtrs in Cat. 8(a) subject to NBWL/ESZ clearance and following special conditions:

**Statutory Compliance**

i. The project proponent shall obtain all necessary clearance/permission from all relevant agencies including NBWL/ESZ and town planning authority before commencement of work. All the construction shall be done in accordance with the local building byelaws.
ii. The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of building due to earthquakes, adequacy of firefighting equipment etc as per National Building code including protection measures from lightening etc.
iii. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board/Committee.
iv. The project proponent shall obtain the necessary permission for drawl of ground water/surface water required for the project from the competent authority.
v. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.
vi. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.

vii. The provisions for the solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, and the Plastics Waste (Management) Rules, 2016 shall be followed.
viii. The project proponent shall follow the ECBC/ECBC-R prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power Strictly.
ix. The project area shall be secure through boundary wall and excavated top soil shall not be used in filling of low lying area. The top soil shall be used for greenery development.

**II. Air Quality Monitoring and preservation**

i. Notification GSR 94(E) dated: 25/1/2018 MoEF & CC regarding Mandatory implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities for project requiring Environmental Clearance shall be complied with.
ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.
iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released covering upwind and downwind directions during the construction period.
iv. 02 Diesel power generating sets as 1 no. x 250 kVA & 1 no. x 600kVA are proposed as source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use of low sulphur diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board.
v. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking wills all around the site plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, Murram and other construction materials prone to causing dust polluting at the site as well as taking out debris from the site.
vi. Sand, Murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution.
vii. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.
viii. Unpaved surface and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.
ix. All construction and demolition debris shall be stored at the site (are not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and

construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.

x. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.

xi. The gaseous emission from DG sets (1 no. x 250 kVA & 1 no. x 600kVA ) shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.

xii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

## III. Water quality monitoring and preservation

i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.

ii. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible Minimum cutting and filling should be done.

iii. The total water requirement - 207.370 KLD, Fresh Water Requirement - 70.880 KLD, , Total Recycled Water generated -136.42, out of which **56.83 KLD** recycled water will be used for flushing & 12.59 KLD water will be used for horticulture & Basement Wash.

iv. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, MoEF & CC along with six monthly Monitoring reports.

v. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.

vi. At least 11% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be previous. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as previous surface.

vii. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.

viii. Use of water saving devices/fixtures (Viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan.

ix. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.

x. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.

xi. The local bye-law construction on rain water harvesting should be followed. If local by-law provision is not available, adequate provisions for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building bylaws, 2016. Rain water harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.

xii. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meter of built up area and storage capacity of minimum one day of total fires water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority.

xiii. For rainwater harvesting, 01 recharge pits will be constructed for harvesting rain water. The total recharge capacity of these pits about 28 m3/hr . Mesh will be provided at the roof so that leaves or any other solid waste/debris will be prevented from entering the pit.

xiv. The RWH will be initially done only from the roof top. Runoff from green and other open areas will be done only after permission from CGWB.

xv. All recharge should be limited to shallow aquifer.

xvi. No ground water shall be used during construction phase of the project.

xvii. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.

xviii. The quality of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The recorded shall be submitted to the Regional Office, MoEF & CC along with six monthly Monitoring report.

xix. Sewage shall be treated in the STP (Capacity – 175 KLD based on MBBR technology). The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing, AC

make up water and gardening. As proposed, no treated water shall be disposed in to municipal drain.

xx. The waste water generated from the project shall be treated in STP of 175 KLD capacity (based on MBBR technology) and then reused for various purposes. No water body or drainage channels are getting affected in the study area because of this project.

xxi. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.

xxii. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problems from STP.

xxiii. Sludge from the onsite sewage treatment including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Control Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013.

IV. **Noise monitoring and prevention**

i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/silence zone both during day and night as per Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitoring during construction phase. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB/SPCB.

ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer of the Ministry as a part of six-monthly compliance report.

iii. Acoustic enclosures for DG sets, noise barriers for ground run bays, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

**V. Energy Conservation measures.**

i. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured, Building in the State which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.

ii. Outdoor and common area lighting shall be LED.

iii. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.

iv. Energy Conservation measures like installation of CFls/LED's for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.
v. Solar, wind or other renewable energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level /local building bye-laws requirement, which is higher.
vi. Solar power shall be used for lighting in the apartment to reduce the power load on grid. Separate electric meter shall be installed for solar power. Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.

## VI. Waste Management

i. Total waste 570Kg/Day and these all type of waste shall be treated/ disposed off as per provision made in the MSW Rules 2016.
ii. Twin bin waste collection system will be used within the complex – green bins for bio-degradable wastes and blue bins for non-biodegradable wastes shall be provided.
iii. Sale of recyclable waste like news papers, cartoon, bottles, canes etc to recycling industry.
iv. A certificate from the competent authority handling municipal solid wastes, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the MSW generated from project shall be obtained.
v. Disposal of muck during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.
vi. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste (0.4 ton/day) shall be segregated into wet garbage and inert materials.
vii. All non-biodegradable waste shall be handed over the authorized recyclers for which a written lie up must be done with the authorized recyclers.
viii. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the State Pollution Control Board.
ix. Use of environment friendly materials in bricks, blocks and other construction materials, shall be required for at least 20% of the construction materials quantity.

These include fly ash brick, hollow bricks, AACs, Fly Ash Lime Gypsum block, compressed earth blocks and other environmental friendly materials.

x. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003 and 25th January, 2016 Ready mixed concrete must be used in building construction.

xi. Any wastes from construction and demolition activities related thereto small be managed so as to strictly conform to the construction and Demolition Rules, 2016.

xii. Used CFLs and TFLs should be properly collected and disposed off/sent for recycling as per the prevailing guidelines/rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination.

## VII. **Green Cover**

i. Total 120 trees shall be planted in the area of 610 $m^2$ (11 % of total plot area) which is developed as greenbelt development as per following scheme.

| **Species** | **Location** | **Spacing** | **Area** | **Remark** |
|---|---|---|---|---|
| **Combination of**<br>• Milingtonia<br>• Kigellia Pinnale (Ficus species)<br>• Polyalthia Longifolia<br>• (Pencil Ashok )<br>• Granillia Robsta | At Left side of the building along the boundary wall | 5 mt between two trees and for pencil ashok, the distance will be the 2 mt between 02 trees | 305 sq mt | Between two trees there will be flower beds to beautifying the campus. |
| **Combination of**<br>• Polyalthia<br>• Longifolia<br>• ( Pencil Ashok )<br>• Granillia Robsta<br>• Milingtonia | At right side of the building along the boundary wall | 5 mt between two trees and for pencil ashok, the distance will be the 2 mt between 02 trees | 305 sq mt | Between two trees there will be flower beds to beautifying the campus. |
| | | | **610** | |

ii. Not tree can be felled/transplant unless exigencies demand. Where absolute necessary, tree felling shall be with prior permission from the concerned regulatory authority. Old trees should be retained based on girth and age regulations as may be prescribed by the Forest Department. Plantations to be ensured species (cut) to species (Planted).

iii. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, Compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.

iv. Topsoil should be stripped to depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stack plied appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetations on site.
v. PP shall explore the possibility of developing roof top garden/green space.

VIII **Transport**

i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public and private network. Road should be designed with due consideration for environment and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.

   a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic
   b. Traffic calming measures.
   c. Proper design of entry and exit points
   d. Parking norms as per local regulation

ii. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.
iii. Total proposed Parking's arrangement for 196 ECS .
iv. A detailed traffic management and traffic decongesting plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the road within a 05 Kms radius of the project as maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of the development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management and the PWD/competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

**IX. Human health issues**

i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.
ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.
iii. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implementation.
iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile,

STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.

vi. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

## X. EMP& Corporation Environment Responsibility

i. For Environment Management Plan PP has proposed Rs. 103.3 Lakhs as capital and Rs. 30.05Lakhs as recurring cost for this project.

ii. For this project PP has proposed Rs 35.00 Lakhs as Corporate Environment Responsibility (CER) for remaining project component which is also include for Provision of fund for Wild Life Adaptation at Ralamandal Sanctuary, Indore as follows:-

| SN | Plan | Area of Activity | Budgetary provisior (Rs in lacs) |
|---|---|---|---|
| 1 | Provision of fund for wild life habitat programme | Ralamandal Sanctuary, Indore | Rs 10 Lacs |
| 2 | Adaptation of school with provision of furniture (50 table and chairs in each class room), Fans at each rooms, Library, Up gradation of toilets (4 for girls and 04 for boys), Drinking water facility (RO)- 04 numbers), sport ground, and boundary wall. | School at forest village at Nahar Jhabua. | Rs 10 Lacs |
| 3 | Provision of essential facility like utensil, fans, mattresses, clothes other house hold facilities in consultation with the operator of old age home for needful requirement. | Old age homes ( 2 no ) at Pitra Parvat and Apna Ghar located at Indore | Rs 10 Lcas |
| 4. | Charagah Development in Pedmi Gaushala of ahilya Devi Trust, Indore and adjoining villages. | | Rs 05 Lcas |
| | **Total** | | **35 Lacs** |

iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The Environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balance and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions. The company shall have defined system of reporting infringements/deviation/violation of the Environmental/forest/wildlife norms/conditions and/or shareholders/stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six monthly reports.

iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.

v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.

**XI. Miscellaneous**

i. The project authorities must strictly adhere to the stipulation made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
ii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee (SEAC)
iii. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
iv. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
v. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

**5. <u>Case No 9329/2022 M/s Vini Industries Private Limited, Shri Alpesh Patel, Managing Director, Plot No. 125, AKVN Industrial Estate, Tehsil - Meghnagar, Dist. Jhabua, MP Prior Environment Clearance for expansion of existing dye and dye intermediates unit at Plot No. 125, AKVN Industrial Estate, Meghnagar, Dist. Jhabua, MP. Env. Con-M/s Enviro Resources Mumbai.</u>**

This is a case Prior Environment Clearance for expansion of existing unit at Plot No. 125, AKVN Industrial Estate, Meghnagar, Dist. Jhabua, (MP). The proposed project falls under item no 5(f) i.e. Synthetic organic chemicals hence requires EC for expansion. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for scoping so as to determine TOR to carry out EIA and prepare EMP for the project.

The case was presented by Environment Consultant Shri Shubham Dubey from M/s. M/s Enviro Resources, Mumbai and PP Shri Shri Alpesh Patel, Owner and Shri Bharat Patel, Director, M/s Vini Industries Private Limited, Jhabua. During presentation PP submitted that the expansion project is being proposed by M/s Vini Industries Private Limited at Plot No 125 AKVN Industrial Estate, Meghnagar, Taluka Meghnagar, District Jhabua (MP). During presentation PP submitted that they have obtained EC previously for 1800 MT/Year production and proposing expansion now for 25,640 MT/Year.

During presentation it was observed by committee through Google Image that no plantation is carriedout by PP while as per the previous EC they were suppose to develop green belt on 1467 sq. meter area which is 33% of the total area. PP submitted that they have to plant approx. 370 trees as per EC but till date have planted about 100 trees. Committee express their dissatisfaction for Project Proponent for not complying with the previous EC conditions and still applying for product expansion from 1800 MT/Year production to 25,640 MT/Year (approx. 15 times). It was also observed by the committee that in the online uploaded PFR, it is mentioned that "its an pharmaceutical industry" where as the proposed products are not pharma products, thus PP shall reviw the submitted PFR and other documents wrt to proposed products, by-products and product category and accord necessary changes (if required) as per the proposed project configration. If PFR is to be revised, same shall be uploaded online.

Thus committee also observed that PP has very casual approach for compliance of previous EC conditions and thus recommends that PP shall immediately plant remaining 270 trees (of > 1.00 meter hight) within next 15 days (i.e. in current monsoon season) on the available land within plant premisis and site visit shall be carriedout by SEAC sub-committee after receiving intimation from PP that they have planted 270 trees for its verification and also for verification of arrangements made by PP for pollution control and disposal of hazardous and other wastes for existing products as previously there were many episodes of effluent discharge / waste disposal on IA land in Meghnagar IA causing pollutionand public agitation. Committee after delibereations recommends that proposal for TOR for expansion will be considered onlyafter PP's compliance report on plantation as per previous EC conditions and recommendations of sub-committee after site visit as stated above.

**6. <u>Case No 9336/2022 Shri Ganesh Kolhe, Owner, R/o 01, Ward No. 25, Santoshi Mata Ward, Pandhurna, Dist. Chhindwara, MP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.865 ha. (17662 Cum per annum) (Khasra No. 237 Part), Village - Lavhana, Tehsil - Pandhurna, Dist. Chhindwara (MP) Env. Global Management and Engineering Consultant International, Jaipur (Raj.)</u>**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 237 Part), Village - Lavhana, Tehsil - Pandhurna, Dist. Chhindwara (MP) 2.865 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 06/10/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री गणेश कोल्हे (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री जी.के. मिश्रा, Env. Global Management and Engineering Consultant International, Jaipur (Raj.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1042 दिनांक 27/07/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 19.381 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पूर्व दिशा में 40 मीटर पर प्राकृतिक नाला एवं उत्तर दिशा में 100 मीटर पर कच्चा रोड़ है अतः उनकी संरक्षण योजना के साथ ई.आई.ए. में प्रस्तुत कि जाये । प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। आवंटित क्षेत्र में पूर्व से एक क्रेशर व शेड स्थापित है, अतः सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें । आवंटित क्षेत्र का दक्षिण भाग खुदा हुआ है, जिसकी ई.आई.ए. रिपोर्ट में स्थिति स्पष्ट की जाये । प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा छिंदवाड़ा जिले का अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसके पेज नं.–33 पर सरल क्रमांक–70 पर इस खदान का विवरण दर्ज है । **समिति ने पाया कि गूगल एमेज के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में पूर्व से पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन किया जा रहा है ऐसा प्रतीत नहीं होता है। अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का नियमानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे है अथवा नहीं।** उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. प्रश्नाधीन खदान के पूर्व दिशा में 40 मीटर पर प्राकृतिक नाला एवं उत्तर दिशा में 100 मीटर पर कच्चा रोड़ है अतः उनकी संरक्षण योजना के साथ ई.आई.ए. में प्रस्तुत कि जाये ।

2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. आवंटित क्षेत्र में पूर्व से एक क्रेशर व शेड स्थापित है, अतः सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. आवंटित क्षेत्र का दक्षिण भाग खुदा हुआ है, जिसकी ई.आई.ए. रिपोर्ट में स्थिति स्पष्ट की जाये ।
5. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
6. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. आंवटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
8. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
9. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
11. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

**7. <u>Case No 9334/2022 Smt. Sujata Shivhare, Owner, Indranagar, Kabrai, Dist. Mahoba, UP - 210424, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.343 ha. (158335 Cum per annum) (Khasra No. 148), Village - Rampur Ghosi, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) Env. Con. - M/s. Oceao Enviro Management Solution (India) Pvt. Ltd., Ghaziabad (U.P.)</u>**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 148), Village - Rampur Ghosi, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) 4.343 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 06/10/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री अनूप गुप्ता (अधिकृत प्रतिनिधि) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, M/s. Oceao Enviro Management Solution (India) Pvt. Ltd., Ghaziabad (U.P.) ऑन लाईन उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2436 दिनांक 29/07/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी

गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 16.093 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पश्चिम दिशा में 80 मीटर पर कच्चा रोड़, दक्षिण दिशा में 80 मीटर पर प्राकृतिक नाला तथा दक्षिण दिशा में 250 मीटर पर आबादी है अतः उनकी संरक्षण योजना सेट–बेक के साथ ई.आई.ए. में प्रस्तुत कि जाये । प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। खदान पहाड़ पर स्थित है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट में खनिज परिवहन हेतु बनाये जाने वाले परिवहन मार्ग का विवरण (ग्रेडिएंट के साथ) प्रस्तुत किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा छतरपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज नहीं है । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 1659 दिनांक 25/07/22 के अनुसार पिछली डीएसआर त्रृटिवश छूट गया है, जो नवीन डी.एस.आर. में जोड़ा जा रहा है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. प्रश्नाधीन खदान के पश्चिम दिशा में 80 मीटर पर कच्चा रोड़, दक्षिण दिशा में 80 मीटर पर प्राकृतिक नाला तथा दक्षिण दिशा में 250 मीटर पर आबादी है अतः उनकी संरक्षण योजना सेट–बेक के साथ ई.आई.ए. में प्रस्तुत कि जाये ।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. खदान पहाड़ पर स्थित है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट में खनिज परिवहन हेतु बनाये जाने वाले परिवहन मार्ग का विवरण (ग्रेडिएंट के साथ) प्रस्तुत किया जाये ।
4. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. आंवटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
7. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

10. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. ई.आई.ए. रिर्पोट के साथ नवीन जिला सर्वेक्षण रिर्पोट, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत करे ।
12. सरफेस रनऑफ मैनेजनमेंट प्लांन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

**8. <u>Case No 9337/2022 Shri Sudhir Jununkar, Owner, Ward No 28, Near SBI Bank, Pandhurna, Chhindwara, MP - 480334, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (16353 Cum per annum) (Khasra No. 1198), Village - Chicholibad, Tehsil - Pandhurna, Dist. Chhindwara (MP)</u>**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1198), Village - Chicholibad, Tehsil - Pandhurna, Dist. Chhindwara (MP) 4.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 06/10/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुधीर जुनूनकर (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री जी.के. मिश्रा, Env. Global Management and Engineering Consultant International, Jaipur (Raj.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 693 दिनांक 30/05/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नही होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि छिंदवाड़ा जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन किया गया है, जिसके पेज नं.–39 के सरल क्रमांक 122 पर इस खदान का विवरण दर्ज है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पूर्वी भाग में लगभग 20 मी. की दूरी पर प्राकृतिक नाला है, जिसके सरंक्षण हेतु 30 मीटर का नॉन माईनिंग क्षेत्र दिखाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुतीकरण में प्रस्तावित किया गया है तथा इसके संरक्षण हेतु गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टेक प्रस्तावित किये गये है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 16,353 मी$^3$ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 23.19 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 03.36 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

| सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि | राशि (रु. में) |
|---|---|
| शासकीय प्राथमिक शाला चिचोलीबढ़ में 25 बेंच व 10 कुर्सियों की व्यवस्था | 50,000 |
| शासकीय स्वास्थ केंद्र चिचोलीबढ़ में 1 - ईसीजी मशीन, 2- मेडिकल बेड की व्यवस्था | 1,00,000 |
| योग | 1,50,000 |

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण :–

| कं. | प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान | पौधों की प्रजातियॉ | मात्रा (संख्या में) |
|---|---|---|---|
| 1 | बेरियर जोन | नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, कचनार, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां | 1600 |
| 2 | परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 1 मीटर) | खमेर, चिरोल, अचार. करंज, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां | 300 |
| 3 | चिचोलीबढ़ ग्रामवासियों में वितरण हेतु | नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, नींबू, अचार, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां | 1800 |
| 4. | गैर खनन् क्षेत्र | खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां | 200 |
| 5. | ग्राम पंचायत चिचोलीबढ़ के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में | इमली, आम, आँवला, सीताफल, कबीट एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां | 200 |
| | | कुल | 4800 |

**9. <u>Case No 9138/2022 Shri Kamran Khan, Owner, 105, Badribagh Colony, Manik Bagh Road, Dist. Indore, MP - 454001, Prior Environment Clearance for Stone & M-sand Quarry in an area of 4.0 ha. (Stone - 25000 cum per annum, M-sand - 75000 cum per annum) (Khasra No. 181/2), Village - Nimola, Tehsil - Dharampuri, Dist. Dhar (MP)</u>**

This is case of Stone & M-sand Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 181/2), Village - Nimola, Tehsil - Dharampuri, Dist. Dhar (MP) 4.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

सेक की 570वी बैठक दिनांक 11/05/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500

मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर.एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल–पत्र क्रमांक 466 दिनांक 29/03/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नही है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान सिल के दक्षिण दिशा में 165 मीटर पर नर्मदा नदी है । लीज क्षेत्र 18 पेड़ है जो काटे जायेंगे एवं उनके एवज में 180 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ फार्म–2 में लेंड फारेस्ट लेंड दिखाई है, इसके संबंध में स्थिति स्पष्ट करें ।
- ✓ प्रस्तावित एम–सेंड प्लांट नर्मदा नदी के एच.एफ.एल. से कितना दूर है, की सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणित जानकारी प्रस्तुत करें।
- ✓ एम–सेंड प्लांट के ले–आउट को सरफेस मेप पर दिखाया जाये ।
- ✓ एम–सेंड प्लांट से उत्पन्न होने वाले दूषित जल के शोधन की व्यवस्था तथा उत्पन्न होने वाले सिल्ट के अपवहन का विवरण प्रस्तुत करें ।
- ✓ भूमि क्षरण रोकने हेतु लीज क्षेत्र के नीचे (नर्मदा नदी की ओर) खाली पड़ी शासकीय भूमि में बैम्बू के सघन वृक्षारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।
- ✓ चूँकि लीज क्षेत्र नर्मदा नदी के पास (लगभग 165 मीटर दूर) स्थित है, अतः बारिश के पानी के उचित निस्तारण की व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत करें ।
- ✓ प्रस्तावित किये गये गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक के डायमेंशन तथा उसमें स्टोन पिचिंग का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण एवं ई.एम.पी. योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.एस.आर. योजना ।

प्ररियोजना प्रस्तावक ने ऑन लाईन जबाब 09/6/22 को प्रस्तुत किया एवं प्रकरण 16/6/22 को प्रस्तावित बैठक में सुनवाई हेतु रखा गया ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी का प्रस्तुतीकरण किया गया तथा प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि समिति द्वारा पूर्व में ''प्रस्तावित एम–सेंड प्लांट नर्मदा नदी के एच. एफ.एल. से कितना दूर है, की सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणित जानकारी चाही गई थी'' किन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा एच.एफ.एल./रिवर फ्लड प्लेन के स्थान पर एफ.आर.एल की जानकारी दी गई है जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आफिस मेमोरेंडम दिनांक 14/2/22 *(''Industries shall not be located within the river flood plain corresponding to one in 25 years flood. As certified by concerned District Magistrate/Executive Engineer from state water resource Deptt., or any other officer authorized by State Govt. for this*

*purpose.")* के अनुसार समाधान कारक नही है। अतः परियोजना प्रस्तावक को पुनः उपरोक्तानुसार जानकारी 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत न करने के कारण प्रकरण को सेक की 586वीं बैठक दिनांक 21/07/22 को प्रकरण के डिलिस्ट कर सिया को प्रेषित किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी ऑनलाईन अपलोड कर करने के कारण सिया की 747वीं बैठक दिनांक 14/09/22 को इस प्रकरण को रिलिस्ट कर परीक्षण हेतु सेक को प्रेषित किया गया ।

आज दिनांक 06/10/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री कामरान खान (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए । प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जिला धार की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 48 के सरल क्रमांक–6 पर इस खदान का विवरण दर्ज है तथा कार्यपालन यंत्री जिला धार ने पत्र क्रमांक 460 दिनांक 18/7/22 के माध्यम से यह सूचित किया है कि सर्वे क्रमांक 181/2 एफ.आर.एल. या एच.एफ.एल से अप्रभावित है । इस प्रकार उनके द्वारा वांछित जानकारियॉ ऑन लाईन प्रस्तुत की जा चुकी है । समिति ने चर्चा के दौरान पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारियॉ प्रस्तुत कर दी गई है । अतः समिति पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 25,000 मी$^3$ प्रति वर्ष एवं एम–सेंड 75,000 मी$^3$ प्रति वर्ष। ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.79 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 02.30 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 3.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाय :–

| **सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि** | **राशि (रु. में)** |
|---|---|
| ग्राम निमोला के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में वाऊड्रींवाल का निर्माण | 2,50,000 |
| सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धरमपुरी में ई.सी.जी. मशीन | 50,000 |

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण :–

| कं. | प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान | पौधों की प्रजातियॉ | मात्रा (संख्या में) |
|---|---|---|---|
| 1 | बेरियर जोन | नीम, सीताफल, पीपल, कचनार, करंज, चिरौल, जंगल जलेबी, सिस्सु एवं स्थानीय प्रजातियॉ । | 800 |
| 2 | परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 1 मीटर) | नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरौल, कदम एवं स्थानीय प्रजातियॉ । | 300 |
| 3 | खदान के दक्षिण दिशा में नदी के किनारे के क्षेत्र में | खसघास (10 प्रतिशत) एव बॉस (80 प्रतिशत) तथा केतकी स्लिप (10 प्रतिशत) का वृक्षारोपण । | 3700 |
| | | कुल | 4800 |

**10. <u>Case No 9335/2022 Smt. Meena Damor, Owner, Sadalpur, Tehsil & Dist. Dhar, MP - 454001, Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 2.0 ha. (12500 Cum per annum) (Khasra No. 131/2 Peki), Village - Chandawad, Tehsil - Dharampuri, Dist. Dhar (MP)</u>**

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 131/2 Peki), Village - Chandawad, Tehsil - Dharampuri, Dist. Dhar (MP) 2.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 06/10/22 को परियोजना प्रस्तावक सुश्री मीना (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 863 दिनांक 06/06/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 04.00 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार पूर्व दिशा में एक कच्चा रोड 20 मी. की दूरी पर एवं पश्चिम दिशा में 700 मीटर पर आबादी स्थित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रकरण मुरूम का होने के कारण ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि धार जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–48 के सरल क्रमांक 05 पर इस खदान का विवरण दर्ज है जिसमें तहसील नाम पीथमपुर उल्लेखित है जबकि यह खदान तहसील धरमपुर के गॉव चांदवड़ में स्थित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम – 12,500 मी$^3$ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.08 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.65 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाय :–

| **सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि** | **राशि (रु. में)** |
|---|---|
| चन्दवाड गांव के प्राथमिक स्वास्थय केंद्र में मेडिकल बेड दिए जायेंगे। 20000 X 3) | 60, 000 |
| स्वास्थय केंद्र में अधिकारी से परामर्श करके चिकित्सीय उपकरण दिया जायेगा | 60,000 |
| **योग** | 1,20,000 |

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण :–

| **प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान** | **पौधों की प्रजातियॉ** | **मात्रा (संख्या में)** |
|---|---|---|
| बेरियर जोन | नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, खमेर, सिस्सू आदि। | 440 |
| परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 1 मीटर) | नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आदि | 320 |
| ग्रामवासियों में वितरण हेतु | आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि | 1640 |
| **योग** | | 2400 |

## 11. Case No 9297/2022 Vandana Tiwari, Owner, Daddadham Colony, Dist. Katni, MP, Prior Environment Clearance for Murrum Mine in an area of 4.0 ha. (26616.80 cum per annum) (Khasra No. 350 Part) Village - Saraswahi, Tehsil - Murwara, Dist. Katni, (MP) Cognigance Research India (P) Ltd., Noida (UP)

This is case of Murrum Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 350 Part) Village - Saraswahi, Tehsil - Murwara, Dist. Katni, (MP) 4.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज सेक की 594वीं बैठक दिनांक 21/09/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को

प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

आज दिनांक 06/10/22 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती वंदना तिवारी (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1933 दिनांक 22/08/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 08.00 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण दिशा में 80 मीटर पर एक शेड, उत्तर–पूर्व दिशा में 80 मीटर पर जल रोकने की संरचना, उत्तर दिशा में 90 मीटर पर प्राकृतिक नाला तथा 375 मीटर पर शासकीय विघालय, दक्षिण दिशा में 500 मीटर पर राष्ट्रीय राजमार्ग तथा पश्चिम दिशा में 750 मीटर पर आबादी है अतः उनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत कि जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड ही नहीं की गई है । अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि वे ई.आई.ए. रिर्पोट के साथ अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिर्पोट, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई. आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण दिशा में 80 मीटर पर एक शेड, उत्तर–पूर्व दिशा में 80 मीटर पर जल रोकने की संरचना, उत्तर दिशा में 90 मीटर पर प्राकृतिक नाला तथा 375 मीटर पर शासकीय विघालय, दक्षिण दिशा में 500 मीटर पर राष्ट्रीय राजमार्ग तथा पश्चिम दिशा में 750 मीटर पर आबादी है अतः उनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत कि जाये ।
2. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

7. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. ई.आई.ए. रिर्पोट के साथ अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिर्पोट, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत करे ।

**12. <u>Case No 9326/2022 Shri Ravi Gautam, MIG, D-35, Ganpati Enclave, Kolar Road, Dist. Bhopal, MP - 462042 Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 2.80 ha. (15000 cum per annum) (Khasra No. 128/K) Village - Tanda, Tehsil - Berasia, Dist. Bhopal, MP</u>**

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 128/K) Village - Tanda, Tehsil - Berasia, Dist. Bhopal (MP) 2.80 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 06/10/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री रवि गौतम (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकलप्रमाण–पत्र क्रमांक 2245 दिनांक 08/07/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नही होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) जिला भोपाल द्वारा जारी एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2245 दिनांक 08/07/2022 अनुसार 10 किलो मीटर के क्षेत्र में नेशनल पार्क/अभ्यारण की जानकारी अपूर्ण है किंतु परियोजना प्रस्तावक ने कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी के पत्र क्रमांक 1030 दिनांक 27/7/21 के माध्यम से जारी पत्र अपलोड किया है जिसके अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में कोई नेशनल पार्क/अभ्यारण नही है ।

प्रकरण के परीक्षण में पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोड जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के चेप्टर–13 के तालिका क्रमांक–8 पर इस खदान का विवरण दर्ज है किंतु अभी भोपाल जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत को छोड़कर अन्य गौण खनिज) परीक्षण हेतु सेक को अप्राप्त है । अतः सिया की EDS dated 22/07/22 "as per policy decision of 724th SEIAA meeting dated 17.05.2022 the application will be accepted after receiving updated DSR of Bhopal district in SEIAA office." समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि चूंकि सिया की EDS अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड नही की गई है अतः सेक द्वारा पर्यावरणीय संवेदनशीलता के आधार पर प्रकरण का परीक्षण कर अनुशासाये सिया को प्रेषित की जाये एवं जिला सर्वेक्षण रिर्पोट पर उचित निर्णय सिया द्वारा लिया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार पश्चिम दिशा में कच्चा रोड 25 मी. की दूरी पर, आबादी दक्षिण दिशा में 520 मीटर पर तथा जलभराव का क्षेत्र दक्षिण पूर्व दिशा में 110 मीटर पर स्थित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण मुरूम का होने के कारण ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है। प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के

उत्तर भाग खुदा हुआ है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि यहां खनन् कार्य किया गया है । जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह स्थिति वर्ष 2018 से है तथा उनको लीज इसी स्थिति में मई 2022 में आंवटित की गई है तथा उनके द्वारा कोई खनन् कार्य नही किया गया है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम – 15,000 मी$^3$ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 09.03 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 01.15 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाय :–

| सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि | राशि (रु. में) |
|---|---|
| खदान के दक्षिण–पूर्व दिशा की ओर जो तालाब है, उसका गहरीकरण करके किनारों पर वृक्षारोपण किया जायेगा । | 40,000 |

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3,400 वृक्षों का प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण :–

| प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान | पौधों की प्रजातियॉ | मात्रा (संख्या में) |
|---|---|---|
| बैरियर जोन में वृक्षारोपण | चिरोल, नीम, जगंल जलेबी, सीताफल, खमेर अन्य स्थानीय प्रजातियॉ । | 1,000 |
| परिवहन मार्ग तक (पेड़ो की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ) | करंज, कदम, चिरोल, जंगलजलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ । | 400 |
| जामली ग्रामबासियों में वितरण | मुनगा, कटहल, पपीता एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ । | 2,000 |
| | योग | 3,400 |

**13. <u>Case No 9327/2022 M/s Maa Bhawani Granite, Partner Shri Suresh Tiwari, Prakash Bamhauri, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur, MP - 471510 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.763 ha. (10000 cum per annum) (Khasra No. 96, 101) Village - Prakash Bamhauri, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP)</u>**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 96, 101) Village - Prakash Bamhauri, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) 1.763 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 06/10/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेश तिवारी (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा (उ.प्र.)

उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1434 दिनांक 17/06/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिसको मिलाकर कुल रकबा 05.666 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है किंतु प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत ऑन लाईन प्राप्त हुआ है । उपरोक्त संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1434 दिनांक 17/06/2022 जारी प्रमाण पत्र में जिन 03 खदानों का उल्लेख है उसमें हमारी खदान भी शामिल है तथा प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 03.903 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है जिसकी पुष्टि हेतु उनके द्वारा खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) जिला छतरपुर द्वारा जारी एकल पत्र क्रमांक 6671 दिनांक 17/12/2021 ऑन लाईन अपलोड किया गया है इसे मान्य किये जाने का अनुरोध है । प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि सिया के पत्र क्रमांक 326 दिनांक 09/05/22 द्वारा छतरपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन किया जा चुका है जिसके पेज नं. 110 के सरल क्रमांक–35 पर इस खदान का विवरण दर्ज है ।

इस इसी प्रकार परीक्षण के दौरान माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार दक्षिण पश्चिम दिशा में 80 मी. की दूरी पर एवं 35 मीटर की दूरी पर आबादी, मंदिर तथा तालाब है तथा खनन् का कुछ भाग पहाड़ पर स्थित है जिसमें कई पेड़ लगे है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् कार्य रॉक ब्रेकर से किया जाना प्रस्स्तावित है, जिस कारण ब्लास्टिंग नहीं की जायेगी । समिति ने पाया कि आबादी एवं मंदिर के कारण यदि 100 मीटर का नॉन माईनिग जोन (एन.जी.टी. प्रकरण क्रमांक 304/19– ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं होने पर) तथा तालाब के कारण 100 मीटर का नॉन माईनिग जोन (एम.एम.आर. 1996) छोडा जाता है तो खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध नही होता है तथा नॉन माईनिंग छोड़ने के बाद जो क्षेत्र उपलब्ध है, उसमें भी पेड़ लगे है। अतः समिति ने चर्चा उपरां निर्णय लिया कि इस स्थिति में इस प्रकरण में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किये जाने की अनुशंसा नहीं है।

**14. <u>Case No 9328/2022 M/s Maa Bhawani Granite, Partner Shri Suresh Tiwari, Prakash Bamhauri, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur, MP - 471510 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.14 ha. (10000 cum per annum) (Khasra No. 262, 283) Village - Prakash Bamhauri, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur, MP</u>**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 262, 283) Village - Prakash Bamhauri, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) 1.14 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 06/10/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेश तिवारी (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1435 दिनांक 07/06/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में

03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिसको मिलाकर कुल रकबा 05.666 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है किंतु प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत ऑन लाईन प्राप्त हुआ है । उपरोक्त संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1434 दिनांक 17/06/2022 जारी प्रमाण पत्र में जिन 03 खदानों का उल्लेख है उसमें हमारी खदान भी शामिल है तथा प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 03.903 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है जिसकी पुष्टि हेतु उनके द्वारा खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) जिला छतरपुर द्वारा जारी एकल पत्र क्रमांक 6670 दिनांक 17/12/2021 ऑन लाईन अपलोड किया गया है इसे मान्य किये जाने का अनुरोध है । प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि सिया के पत्र क्रमांक 326 दिनांक 09/05/22 द्वारा छतरपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन किया जा चुका है जिसके पेज नं. 110 के सरल क्रमांक–36 पर इस खदान का विवरण दर्ज है ।

इसी प्रकार परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि खदान दो भागों में (शासकीय – 0.50 हे0 तथा प्राईवेट–0.640 हे.) स्वीकृत है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 01.00 हे. का क्षेत्र पूरा करने हेतु खदान दो भागों में स्वीकृत की गई है । माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार आंवटित खनन् क्षेत्र के एक भाग (0.50 हे0) के पश्चिम भाग से लगा हुआ तालाब है तथा एम.एम.आर. नियम 1996 अनुसार 100 मीटर का सेट बेक छोडे जाने पर खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध नही होता है तथा इसी प्रकार दूसरे भाग (0.640 हे0) के दक्षिण पश्चिम भाग के पास लगभग 60 मीटर दूर तालाब है तथा एम.एम.आर. नियम 1996 अनुसार 100 मीटर का सेट बेक छोडे जाने पर आवश्यक खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध नही होता है । अतः समिति ने चर्चा उपरां निर्णय लिया कि इस स्थिति में इस प्रकरण में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किये जाने की अनुशंसा नहीं है।

**15. <u>Case No 9119/2022 Shri Jitendra Shroti, Owner, D-24, Vivek Vihar Colony, Lashkar Grid, Dist. Gwalior, MP - 474001 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.591 ha. (50,009 cum per annum) (Khasra No. 1974/2/Min-1, 2082), Village - Daurar, Tehsil - Ghatigaon, Dist. Gwalior (MP)</u>**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1974/2/Min-1, 2082), Village - Daurar, Tehsil - Ghatigaon, Dist. Gwalior (MP) 2.591 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

यह प्रकरण सेक की की 569वीं बैठक दिनांक 06/05/22 में प्रस्तुत हुआ था। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 06/05/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा

# 597वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
# दिनांक 06 अक्टूबर 2022

पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन– 50,009 मी$^3$ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 17.37 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 05.59 प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख :–

**प्रस्तावित सी. ई. आर. गतिविधि**

| क्रमांक | सी. ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि | राशि रु में |
|---|---|---|
| 1 | ग्राम दौरार के आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण आहार का वितरण | 30,000/- |
| 2 | ग्राम दौरार के स्कूल में छात्रों को खेल किट का वितरण | 30,000/- |
| 3 | किसानों को गूगल पेड़ का वितरण और वृक्षारोपण व रखरखाव का प्रशिक्षण | 15,000/- |
| 4 | ग्राम दौरार में महामारी में आवश्यक सावधानियों के लिए ग्रामीणों को स्वच्छता किट (हैंड सैनिटाइज़र, हैंड ग्लव्स और नाक का मुखौटा) के रूप में वितरण और प्रशिक्षण | 5,000/- |
| | **Total** | **80,000/** |

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3,000 वृक्षों का वृक्षारोपण :

**प्रस्तावित वृक्षारोपण**

| प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान | पौधों की प्रजातियां | मात्रा (संख्या में) |
|---|---|---|
| **बैरियर** जोन | नीम, खमेर, कचनार, शीशम, खैर, चिरोल आदि। (दो पंक्ति वृक्षारोपण) | 1560 |
| परिवहन मार्ग | नीम, खमेर, कचनार, आचार, अमलतास, शीशम, चिरोल, आंवला, पुत्रनजीवा, मोलश्री आदि। | 250 |
| **विद्यालय** | नीम कचनार, महुआ, अचार अमलतास, गूगल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ । | 250 |
| **आंगनवाड़ी** | नीम, खमेर, चिरोल | 940 |
| | योग | **3000** |

सेक की 569वीं बैठक दिनांक 06/05/22 को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित कर सिया को भेजा गया था किंतु सिया की 726वीं बैठक 25/05/22 को प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में एक अन्य खदान श्री कल्याण श्रोती के नाम से 02.332 हे. की स्वीकृत दर्शाई है, इस बात की पुष्टि स्थल की गूगल इमेज से भी होती है । ऐसी स्थिति में संभवतः प्रकरण बी–1 श्रेणी में आयेगा । इस त्रुटि के सुधार हेतु प्रकरण वापिस सेक को परीक्षण हेतु भेजा जाये ।

यह प्रकरण सेक की पूर्व 578वीं बैठक दिनांक 16/06/22 में प्रस्तुत हुआ था, जिसमें समिति ने प्रकरण के अवलोकन किया और पाया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 9070 दिनांक 08/12/21 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 खदान कार्यरत है तथा उसको मिलाकर 500 मीटर की परिधि में कुल रकबा 04.923 हे. होता है किंतु सेक के कार्यवाही विवरण में लिपिकीय त्रृटिवश ''अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है'' टंकित हो गया है, जिसका सुधार किया जाना प्रस्तावित है, जो निम्नानुसार पढ़ा जावें :–

*''प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 9070 दिनांक 08/12/21 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में एक अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है, इस प्रकार प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल रकबा 04.923 हे. होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है''।*

उपरोक्तानुसार समिति ने पाया कि यदि 01 अन्य खदान का भी क्षेत्रफल (2.332 हे.) जोड़ दिया जाये तो भी दोनों खदानों को मिलाकर कुल रकबा 04.923 हे. होता है तथा खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत ही आयेगी । अतः उपरोक्त संशोधन के साथ समिति अपनी पूर्व की 569वीं बैठक दिनांक 06/05/22 में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखती है ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 735वी बैठक दिनांक 11/7/22 तथा 736वी बैठक दिनांक 12/7/22 में लिए गए निर्णय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परिवेश पोर्टल पर निर्धारित ऑनलाईन प्रक्रिया के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक से समस्त दस्तावेज ऑनलाईन ही प्राप्त किये जाना अनिवार्य है । सेक द्वारा प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी ऑफलाईन प्राप्त की गई है । यह भी उल्लेखनीय है कि मान्नीय न्यायालयों/अधिकरण में विभिन्न विचाराधीन प्रकरणों में भी दस्तावेज को मान्नीय न्यायालयों/अधिकरण में प्रस्तुतीकरण के दौरान परिवेश पोर्टल पर दस्तावेजों की ऑनलाईन उपलब्धता होने से सरलता से प्रस्तुतीकरण भी किया जा सकेगा, के प्रकाश में सभी प्रकरणों में ए.डी.एस. करने बावत् प्रकरण सेक को प्रेषित किए गए ।

सेक की 586वीं बैठक दिनांक 21/07/22 में समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निपटान की दृष्टि से ऐसे प्रकरणों में जिनमें सूक्ष्म परिवर्तन (जैसे वृक्षो की प्रजातियों में परिवर्तन, परियोजना प्रस्तावक का वचन–पत्र, सी.ई.आर. में आंशिक फेरबदल इत्यादि जिसका प्रभाव तकनीकी दृष्टिकोण से व्यापकता नही रखता अर्थात उसमें आगे ओर किसी अध्ययन की आवश्कता नही हो) प्रस्तावित होते है से उसी दिन प्रस्तुतीकरण के साथ जानकारी/उत्तर स्वीकार कर पूर्व में जिन

प्रकरणों को सेक द्वारा परीक्षण का तकनीकी मतांकन/अनुशंसा की जा चुकी है, उन्हें मान्य करने हेतु सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये और भविष्य में सूक्ष्म परिवर्तनों/क्वेरी भी ए.डी.एस. के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त किये जा सकते है ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की बैठक क्रमांक 739 दिनांक 29/07/22 तथा बैठक क्रमांक 740 दिनांक 30/07/22 में लिए गए निर्णय अनुसार प्रकरणों में सेक द्वारा अपनाई जा रही ऑफलाईन प्रक्रिया से वे सहमत नहीं थे, अतः उपरोक्त सभी प्रकरणों में सेक द्वारा वांछित जानकारी एडीएस के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराई जाये ।

सेक की 588वीं बैठक दिनांक 16/08/22 में सिया से प्राप्त उपरोक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा निधारित किया गया कि उपरोक्त सभी प्रकरणों एवं अन्य ऐसे अन्य प्रकरणों में भी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन जानकारी प्रस्तुत करने बावत् सेक द्वारा एडीएस जारी किया जाये। उक्त निर्देशानुसार परियोजना प्रस्तावक को परिवेश पोटल पर दिनांक 23/08/22 को ए.डी.एस. जारी किया गया, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त उल्लेखित जानकारियों को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन दिनांक 23/08/22 को अपलोड कर दिया गया है ।

प्रकरण आज दिनांक 27/08/22 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस प्रकरण में पुरानी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज नहीं है और कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 9670 दिनांक 08/12/21 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ी जावेगी । सेक की 586वीं बैठक दिनांक 21/07/22 को कुछ सुधार कर संशोधित प्रस्तुत करने के निर्देश जिला खनिज अधिकारी को दिए गए ।

समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि चूँकि प्रकरण सेक की पूर्व की 569वीं बैठक दिनांक 06/05/22 एवं 578वीं बैठक दिनांक 16/6/22 में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु अनुशंसा की जा चुकी है, अतः पूर्व की अनुशंसानुसार से सहमत होते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किया जाये ।

प्रकरण में सिया 746वी बैठक दिनांक 13/09/22 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

*''उक्त प्रकरण में सेक द्वारा आंगनवाडी केंद्र में 940 पौधो का रोपण किये जाने की अनुशांसा की गई है । आंगनवाडी केंद्र/परिसर में इतने अधिक संख्या में पौधो का रोपण किया जाना व्यवहारिक रूप से संभव प्रतीत नही होता है। पर्यावरण प्रबंध योजना दर्शाये गये आधार पर नॉर्म्स अनुसार भी यह संभव नही होगा । अतः उपरोक्तानुसार आंगनवाड़ी केंद्र में क्षेत्र उपलब्धता एवं उपयुक्तता के दृष्टिगत पौधा रोपण की संख्या आंकलन करवाये जाने के उपरांत अनुशासित किया जाना उचित होगा । उक्त प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को अग्रेशित किया जाये'' ।*

प्रकरण को समिति समक्ष आज दिनांक 06/10/22 को पुनः परीक्षण रखा गया, जिस दौरान परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत पर्यावरणीय सलाहकार श्री राहुल शर्मा, पी एण्ड एम सॉल्यूशन, नोएडा उ.प्र. ऑनलाईन उपस्थित हुए । चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण के दौरान उनके द्वारा अवगत कराया गया कि 940 वृक्षारोपण की संख्या ऑगनवाड़ी एवं ग्रामीण क्षेत्र में वितरण हेतु प्रस्तावित की गई थी किंतु टंकण त्रुटिवश ग्रामीण क्षेत्र छूट गया, अतः वे पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत कर रहे है,

जिसके अनुसार ऑगनवाड़ी में 40 पेड़ एवं ग्राम दौरार के ग्रामवासियों हेतु 900 पेड़ों का वितरण पड़ा जाये अन्य विवरण पूर्वानुसार रहेंगे। समिति ने प्रकरण का पुनः अवलोकन किया एवं यह पाया कि त्रुटि सुधारते हुए परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर आंगनवाडी केंद्र में 40 पौधो का वृक्षारोपण एवं ग्राम दौरार 900 पेड़ों के विवरण के प्रस्ताव को मान्य किया जा सकता है। प्रकरण में सेक की 569वीं बैठक दिनांक 06/05/22 एवं 578वीं बैठक दिनांक 16/6/22 में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु अनुशंसा की जा चुकी है, अतः उपरोक्त संशोधन के साथ प्रकरण सिया को प्रेषित किया जाये ।

**16. <u>Case No 9222/2022 Smt. Resham Bai W/o Shri Dulha Singh, Vadan Karra Kheda Pada, Dist. Guna, MP - 473105 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.368 ha. (57000 Cum per annum) (Khasra No. 3726), Village - Parsen, Tehsil - Murar, Dist. Gwalior (MP)</u>**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 3726), Village - Parsen, Tehsil - Murar, Dist. Gwalior (MP) 2.368 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

यह प्रकरण सेक की पूर्व 580वीं बैठक दिनांक 23/06/22 में प्रस्तुत हुआ था, जिसमें प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ प्रस्तावित लेंडयूज प्लान ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. एवं वृक्षारोपण ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 23/06/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 57,000 मी$^3$ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.29 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 06.29 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.70 लाख :–

| सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि | राशि रू. में |
|---|---|
| ग्राम परसेन के ऑगनवाड़ी केन्द्र में एक वर्ष तक पोषण आहार का वितरण किया जायेगा । | 40,000 |

| | |
|---|---|
| ग्राम परसेन के ऑगनवाड़ी केन्द्र में 05 मेज–कुर्सियों का वितरण । | 20,000 |
| ग्राम परसेन के ऑगनवाड़ी केन्द्र की मरम्मत व रंगाई–पुताई का कार्य किया जावेगा । | 10,000 |
| योग | 70,000 |

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3020. वृक्षों का वृक्षारोपण :

| क्र. | प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान | पौधों की प्रजातियॉ | मात्रा (संख्या में) |
|---|---|---|---|
| 1 | बैरियर जोन में वृक्षारोपण | सिस्सू, जंगल जलेबी, नीम, खमैर, करंज, सीताफल, चिरौल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ। | 1000 |
| 2 | परिवहन मार्ग तक (पेड़ो की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ) | सिस्सू, नीम, चिरौल, अमलतास, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ । | 200 |
| 3 | ग्राम परसेन के ग्रामबासियों में वितरण | आंवला, सीताफल मुनगा, जामुन, अमरूद, इमली इत्यादि। | 1800 |
| 4. | ग्राम परसेन के शासकीय विद्यालय परिसर में | कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, कचनार इत्यादि। | 20 |
| | | कुल वृक्षारोपण | 3020 |

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाद्यात निर्धारण प्राधिकरण की 735वी बैठक दिनांक 11/7/22 तथा 736वी बैठक दिनांक 12/7/22 में लिए गए निर्णय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परिवेश पोर्टल पर निर्धारित ऑनलाईन प्रक्रिया के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक से समस्त दस्तावेज ऑनलाईन ही प्राप्त किये जाना अनिवार्य है । सेक द्वारा प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी ऑफलाईन प्राप्त की गई है । यह भी उल्लेखनीय है कि मान्नीय न्यायालयों/अधिकरण में विभिन्न विचाराधीन प्रकरणों में भी दस्तावेज को मान्नीय न्यायालयों/अधिकरण में प्रस्तुतीकरण के दौरान परिवेश पोर्टल पर दस्तावेजों की ऑनलाईन उपलब्धता होने से सरलता से प्रस्तुतीकरण भी किया जा सकेगा, के प्रकाश में सभी प्रकरणों में ए.डी.एस. करने बावत् प्रकरण सेक को प्रेषित किए गए ।

# 597वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
# दिनांक 06 अक्टूबर 2022

सेक की 586वीं बैठक दिनांक 21/07/22 में समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निपटान की दृष्टि से ऐसे प्रकरणों में जिनमें सूक्ष्म परिवर्तन (जैसे वृक्षो की प्रजातियों में परिवर्तन, परियोजना प्रस्तावक का वचन–पत्र, सी.ई.आर. में आंशिक फेरबदल इत्यादि जिसका प्रभाव तकनीकी दृष्टिकोण से व्यापकता नही रखता अर्थात उसमें आगे ओर किसी अध्ययन की आवश्कता नही हो) प्रस्तावित होते है से उसी दिन प्रस्तुतीकरण के साथ जानकारी/उत्तर स्वीकार कर पूर्व में जिन प्रकरणों को सेक द्वारा परीक्षण का तकनीकी मतांकन/अनुशंसा की जा चुकी है, उन्हें मान्य करने हेतु सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये और भविष्य में सूक्ष्म परिवर्तनों/क्वेरी भी ए.डी.एस. के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त किये जा सकते है ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की बैठक क्रमांक 739 दिनांक 29/07/22 तथा बैठक क्रमांक 740 दिनांक 30/07/22 में लिए गए निर्णय अनुसार प्रकरणों में सेक द्वारा अपनाई जा रही ऑफलाईन प्रक्रिया से वे सहमत नहीं थे, अतः उपरोक्त सभी प्रकरणों में सेक द्वारा वांछित जानकारी एडीएस के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराई जाये ।

सेक की 588वीं बैठक दिनांक 16/08/22 में सिया से प्राप्त उपरोक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा निधारित किया गया कि उपरोक्त सभी प्रकरणों एवं अन्य ऐसे अन्य प्रकरणों में भी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन जानकारी प्रस्तुत करने बावत् सेक द्वारा एडीएस जारी किया जाये। उक्त निर्देशानुसार परियोजना प्रस्तावक को परिवेश पोटल पर दिनांक 23/08/22 को ए.डी.एस. जारी किया गया, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त उल्लेखित जानकारियों को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन दिनांक 23/08/22 को अपलोड कर दिया गया है ।

प्रकरण आज दिनांक 27/08/22 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस प्रकरण में पुरानी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज नहीं है और कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण–पत्र दिनांक 01/06/22 अनुसार उक्त सैद्यांतिक सहमति को सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने एवं खदान संचालन हो जाने के उपरांत इस खदान को नवीन डिस्ट्रिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । सेक की 586वीं बैठक दिनांक 21/07/22 को कुछ सुधार कर संशोधित प्रस्तुत करने के निर्देश जिला खनिज अधिकारी को दिए गए ।

समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि चूँकि प्रकरण सेक की पूर्व की 580वीं बैठक दिनांक 23/6/22 में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु अनुशंसा की जा चुकी है, अतः पूर्व की अनुशंसानुसार से सहमत होते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किया जाये ।

प्रकरण में सिया 746वी बैठक दिनांक 13/09/22 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

*''उक्त प्रकरण में सेक द्वारा बैरियरजोन हेतु उपलब्ध भूमि की मात्रा एवं गुणवत्ता को देखते हुए 1000 पौधो का रोपण व्यवहारिक प्रतीत नही होता । पर्यावरण प्रबंध योजना में दिये गये आधारो अनुसार क्या यह संभव है । उक्त प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को अग्रेशित किया जाये'' ।*

प्रकरण को समिति समक्ष आज दिनांक 06/10/22 को पुनः परीक्षण रखा गया है, जिसमें समिति ने प्रकरण का पुनः मूल्यांकन किया एवं यह पाया कि उत्खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में परिस्थितिकीय अनुकूल विभिन्न आकार, प्रकार एवं स्वभाव के दृष्टिकोण से प्रस्तावित पौधों की संख्या यथोचित पाई गई । अतः सेक द्वारा 580वीं बैठक दिनांक 23/6/22 में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा से सहमत होते हुए पुनः प्रकरण सिया को प्रेषित किया जाये ।

**17. Case No 9221/2022 Smt. Pushplata Tiwari, Lessee, R/o Mittal Enclave, Plot No. 160, Dist. Katni, MP - 483501, Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 2.40 ha. (19818 Cum per annum) (Khasra No. 624 Part), Village - Banda, Tehsil - Mudwara, Dist. Katni (MP)**

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 624 Part), Village - Banda, Tehsil - Mudwara, Dist. Katni (MP) 2.40 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

यह प्रकरण सेक की पूर्व 580वीं बैठक दिनांक 23/06/22 में प्रस्तुत हुआ था, जिसमें प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ नॉन माईनिंग क्षेत्र दिखाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेप लेंड यूज के साथ ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ परियोजना प्रस्तावक का शपथ–पत्र की खनन् क्षेत्र में विघमान मकान उनका है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 23/06/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम – 19,818 मी$^3$ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 16.93 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 05.05 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.90 लाख :–

| सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि | राशि रू. में |
|---|---|
| ग्राम बांदा के ग्राम पंचायत भवन में एक कम्प्यूटर, प्रिंटर, टेबल के साथ | **60,000** |
| ग्राम बांदा के आगनवाडी में पोषण आहार का वितरण । | **30,000** |
| **योग** | **90,000** |

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3,000 वृक्षों का प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण :

| कं. | प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान | पौधों की प्रजातियॉ | मात्रा (संख्या में) |
|---|---|---|---|
| 1 | बैरियर जोन में वृक्षारोपण | नीम, पीपल, बरगद, ईमली, अमलतास, कचनार, सीताफल, करंज, चिरौंजी तथा अन्य स्थानीय प्रजातियॉ। | 2,000 **(बैरियर जोन–600 नो माइनिंग जोन–1400)** |
| 2 | परिवहन मार्ग तक (पेड़ो की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ) | नीम, पीपल, कदम्ब, बरगद, ईमली, अमलतास, कचनार, करंज तथा अन्य स्थानीय प्रजातियॉ। | 400 |
| 3 | ग्राम बांदा के के ग्रामवासियों को वितरण हेतु | मुनगा, आंवला, आम, नीम, पीपल, ईमली, अमलतास, अचार तथा अन्य स्थानीय प्रजातियॉ। | 500 |
| 4. | ग्राम बांदा के शासकीय विद्यालय परिसर में | कदम्ब, नीम, पीपल, बरगद, अमलतास, कचनार, करंज, तथा अन्य स्थानीय प्रजातियॉ। | 100 |
| **कुल वृक्षारोपण** | | | 3,000 |

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाद्यात निर्धारण प्राधिकरण की 735वी बैठक दिनांक 11/7/22 तथा 736वी बैठक दिनांक 12/7/22 में लिए गए निर्णय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परिवेश पोर्टल पर निर्धारित ऑनलाईन प्रक्रिया के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक से समस्त दस्तावेज ऑनलाईन ही प्राप्त किये जाना अनिवार्य है । सेक द्वारा प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी ऑफलाईन प्राप्त की गई है । यह भी उल्लेखनीय है कि मान्नीय न्यायालयों/अधिकरण में विभिन्न विचाराधीन प्रकरणों में भी दस्तावेज को मान्नीय न्यायालयों/अधिकरण में प्रस्तुतीकरण के दौरान परिवेश पोर्टल पर दस्तावेजों की ऑनलाईन उपलब्धता होने से सरलता से प्रस्तुतीकरण भी किया जा सकेगा, के प्रकाश में सभी प्रकरणों में ए.डी.एस. करने बावत् प्रकरण सेक को प्रेषित किए गए ।

सेक की 586वीं बैठक दिनांक 21/07/22 में समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निपटान की दृष्टि से ऐसे प्रकरणों में जिनमें सूक्ष्म परिवर्तन (जैसे वृक्षो की प्रजातियों में परिवर्तन, परियोजना प्रस्तावक का वचन–पत्र, सी.ई.आर. में आंशिक फेरबदल इत्यादि जिसका प्रभाव तकनीकी दृष्टिकोण से व्यापकता नही रखता अर्थात उसमें आगे ओर किसी अध्ययन की आवश्कता नही हो) प्रस्तावित होते है से उसी दिन प्रस्तुतीकरण के साथ जानकारी/उत्तर स्वीकार कर पूर्व में जिन प्रकरणों को सेक द्वारा परीक्षण का तकनीकी मतांकन/अनुशंसा की जा चुकी है, उन्हें मान्य करने

हेतु सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये और भविष्य में सूक्ष्म परिवर्तनों/क्वेरी भी ए.डी.एस. के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त किये जा सकते है ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की बैठक क्रमांक 739 दिनांक 29/07/22 तथा बैठक क्रमांक 740 दिनांक 30/07/22 में लिए गए निर्णय अनुसार प्रकरणों में सेक द्वारा अपनाई जा रही ऑफलाईन प्रक्रिया से वे सहमत नहीं थे, अतः उपरोक्त सभी प्रकरणों में सेक द्वारा वांछित जानकारी एडीएस के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराई जाये ।

सेक की 588वीं बैठक दिनांक 16/08/22 में सिया से प्राप्त उपरोक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा निधारित किया गया कि उपरोक्त सभी प्रकरणों एवं अन्य ऐसे अन्य प्रकरणों में भी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन जानकारी प्रस्तुत करने बावत् सेक द्वारा एडीएस जारी किया जाये। उक्त निर्देशानुसार परियोजना प्रस्तावक को परिवेश पोटल पर दिनांक 23/08/22 को ए.डी.एस. जारी किया गया, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त उल्लेखित जानकारियों को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन दिनांक 23/08/22 को अपलोड कर दिया गया है ।

प्रकरण आज दिनांक 27/08/22 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस प्रकरण में पुरानी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज है । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के पत्र क्रमांक 1200 दिनांक 05/05/22 अनुसार डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट वर्ष 2016–17 में बनी है । उक्त खनिपट्टा में सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण (उत्खनिपट्टा संचालन) होने जाने के उपरांत नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में उक्त खदान को सम्मिलित कर ली जावेगी । कटनी जिले के नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज को छोडकर अन्य गौण खनिज) सेक को परीक्षण हेतु अप्राप्त है ।

समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि चूँकि प्रकरण सेक की पूर्व की 580वीं बैठक दिनांक 23/6/22 में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु अनुशंसा की जा चुकी है, अतः पूर्व की अनुशंसानुसार से सहमत होते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किया जाये ।

सिया की 747वीं बैठक दिनांक 14/09/22 को प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया :–

*''उक्त प्रकरण में सेक द्वारा बैरियर जोन एव नो माईनिंग जोन में 2000 पौधों का रोपण किये जाने की अनुशंसा की गई हैं यद्यपि इतनी अधिक संख्या में पौधों का रोपण किया जाना व्यवहारिक रूप से संभव प्रतीत नहीं होता है । अतः उपरोक्तानुसार बैरियर जोन एवं नो माईनिंग जोन में क्षेत्र की उपलब्धता एवं उपयुक्तता के दृष्टिगत पौध रोपण की संख्या का आंकलन करवाये जाने के उपरांत अनुशंसित किया जाना उचित होगा । उक्त प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को अग्रेषित किया जाये ।''*

प्रकरण को समिति समक्ष आज दिनांक 06/10/22 को पुनः परीक्षण रखा गया है, जिसमें समिति ने प्रकरण का पुनः मूल्यांकन किया एवं यह पाया कि उत्खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन एवं नॉन माईनिंग जोन में परिस्थतिकीय अनुकूल विभिन्न आकार, प्रकार एवं स्वभाव के दृष्टिकोण से प्रस्तावित पौधों

की संख्या यथोचित पाई गई । अतः सेक द्वारा 580वीं बैठक दिनांक 23/6/22 में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा से सहमत होते हुए पुनः प्रकरण सिया को प्रेषित किया जाये ।

**जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो पर चर्चा –**

निम्नानुसार उल्लेखित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट खनिज अधिकारियों द्वारा आज की बैठक के दौरान प्रस्तुत की गयी। यह प्रकरण एजेण्डा में सूचीबद्ध नहीं था किंतु संबंधित खनिज अधिकारियों/निरीक्षकों के अनुरोध पर मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुतीकरण की अनुमति प्रदान की गईः–

**18. जिला सर्वेक्षण रिर्पोट – भोपाल (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर )**

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्र0. 2753 दिनांक 06/10/22 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिर्पोट – भोपाल (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर ) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिती का अनुमोदन एंव जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है।

| **Mineral** | **Other than Sand** |
|---|---|
| DSR received from District Collectorate ( Mining) | Vide District Collectorate ( Mining) Office, Bhopal, No. 2753 dated 06.10.2022 |
| SEAC meeting dated 07/10/22 | • जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के चेप्टर–09 (पेज न0. 21–42) में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है।<br>• जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के चेप्टर–25 के (पेज न0.66–81 ) मे दे दी गई है। |

आज दिनांक 07/10/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं सुश्री शूचि माथुर खनिज अधिकारी उपस्थित हुए। समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला– भोपाल के पत्र क्र0 2753 दिनांक 06/10/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, पौधों की संख्या एंव प्रजाति भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति भोपाल जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

## 19. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, अशोकनगर – (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर)

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्र0. 150 दिनांक 29/09/2022 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट– अशोकनगर (रेत खनिज) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिती का अनुमोदन एंव जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है ।

| **Mineral** | **Other than Sand** |
|---|---|
| Earlier DSR Discussed | SEAC 591th Meeting dated 27.08.22 |
| Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues) | Recommended for DSR Updation **(Other than Sand** ) |
| Deliberation in the SEAC 591th Meeting dated 27.0822 | **राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 591 वीं बैठक दिनांक 27/08/22 (अन्य गौण खनिज) जिला अशोकनगर –**<br>आज दिनांक 27/8/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री महेन्द्र पटेल, खनिज अधिकारी उपस्थित रहे। नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पाया :–<br>1. प्रस्तुत संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 मे जानकारी निर्धारित फार्मेट (16 बिन्दुओं वाली टेबल) के अनुसार नही दी गयी है ( टेबिल क्रमांक निरंक– पेज 09–21)।<br>2. अशोकनगर जिले मे हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो मे लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या, प्रजातियों की जानकारी को लीज–वार जिसमें यह दर्शाया गया हो कि निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व कितना पौधारोपण किया गया है। इसको भी सम्मिलित करें। |
| Revised DSR received from District Collectorate ( Mining) | Vide District Collectorate ( Mining) Office, Ashok Nagar , No. 150 dated 29.09.2022 |
| Hard Copy Soft Copy or both | Soft copy |
| SEAC meeting dated 07/10/22 | • जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल क्रमांक–8 (पेज क्र0. 20 से 34 |

| | |
|---|---|
| | में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है।<br>• जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट टेबिल क्रमांक–8 (पेज क्र0. 20 से 34) मे दे दी गई है। |

आज दिनांक 06/10/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री अशोक सिंघारे, उप खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे।

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला– अशोकनगर के पत्र क्र0 150 दिनांक 29/09/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, पौधों की संख्या एंव प्रजाति भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति अशोकनगर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

**Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:**

**Annexure- 'A'**

**Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:**

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

**नोट 1 :–** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

**नोट 2 :–** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

**नोट 3 :–** पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

**नोट 4 :–** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

**नोट 5 :–** भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

**नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य**

| क्र. | स्थल | ऊँचाई न्यूनतम् | गोलाई न्यूनतम् |
|---|---|---|---|
| 1. | बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र | 02.5 फिट | 03 से. मी. |
| 2. | रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी | 03.5 फिट | 05 से.मी. |
| 3. | पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक । | | |
| 4. | आवश्यक्तानुसार सिंचाई । | | |

**नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

**Annexure- 'B'**
**Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries***

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream

side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.

8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4$^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    f. Lease owner's Name, Contact details etc.

g. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
h. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
i. Minable Potential of sand mine.
j. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
k. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
    vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
    viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
    ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
38. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

    **नोट 1 :–** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

**नोट 2 :–** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

**नोट 3 :–** पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

**नोट 4 :–** पौघों की ऊॅचाई/गोलाई –

**नोट 5 :–** भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

**नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य**

| क्र. | स्थल | ऊॅचाई न्यूनतम् | गोलाई न्यूनतम् |
|---|---|---|---|
| 1. | बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र | 02.5 फिट | 03 से. मी. |
| 2. | रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी | 03.5 फिट | 05 से.मी. |
| 3. | पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक । | | |
| 4. | आवश्यक्तानुसार सिंचाई । | | |

**नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

**Annexure- 'C'**

**Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries***

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain

a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.

14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    l. Lease owner's Name, Contact details etc.
    m. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    n. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    o. Minable Potential of sand mine.
    p. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    q. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

**नोट 1 :–** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

**नोट 2 :–** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

**नोट 3 :–** पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

**नोट 4 :–** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

**नोट 5 :–** भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

**नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य**

| क्र. | स्थल | ऊँचाई न्यूनतम् | गोलाई न्यूनतम् |
|---|---|---|---|
| 1. | बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र | 02.5 फिट | 03 से. मी. |
| 2. | रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी | 03.5 फिट | 05 से.मी. |
| 3. | पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक । | | |
| 4. | आवश्यक्तानुसार सिंचाई । | | |

**नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।

- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

**Annexure- 'D'**
**General conditions applicable for the granting of TOR**

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.

24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
    - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
    - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
    - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
    - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.

- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

35. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

**नोट 1 :–** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

**नोट 2 :–** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

**नोट 3 :–** पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

**नोट 4 :–** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

**नोट 5 :–** भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

**नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य**

| क्र. | स्थल | ऊँचाई न्यूनतम् | गोलाई न्यूनतम् |
|---|---|---|---|
| 1. | बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र | 02.5 फिट | 03 से. मी. |
| 2. | रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी | 03.5 फिट | 05 से.मी. |
| 3. | पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक । | | |
| 4. | आवश्यक्तानुसार सिंचाई । | | |

**नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

**FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.**

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
39. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained